कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर (छ0ग0)

//आदेश//

01.03.2024
सूरजपुर दिनांक ~~29.02.2024~~

क्रमांक/2040/स्था03/टी–संवर्ग/2024 ::: श्रीमती संचिता रानी मण्डल, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सोनवाही उपकापारा, विकासखण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) की कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) का आदेश क्रमांक/698/शिक्षा–स्था./आ.ज.क./94 अम्बिकापुर दिनांक 17.03.1994 के सरल क्रमांक–3 द्वारा कु0 संचिता रानी मण्डल के रूप में सहायक शिक्षक (अलिपिकीय तृतीय श्रेणी) के पद पर प्रथम नियुक्ति अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पद के विरूद्व उनके द्वारा प्रस्तुत **''चमार''** जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी। वर्तमान में प्रधान पाठक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला सोनवाही उपकापारा, विकासखण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) में पदस्थ हैं।

2/ श्रीमती मण्डल के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त शासकीय नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की जॉच जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति जिला सूरजपुर छ.ग. के द्वारा पत्र क्रमांक/1525/जाति सत्या./आ.वि./18–19 सूरजपुर दिनांक 11.10.2018 के द्वारा की गई जिसमें श्रीमती मण्डल के द्वारा जाति सत्यापन हेतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही उपस्थित हुई। तदोपरान्त कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग, सरगुजा अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) के निर्देशन में कार्यालय कलेक्टर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक/3508/शिकायत/जनदर्शन/2017–18 सूरजपुर दिनांक 18.07.2017 के द्वारा तहसीलदार जिला सूरजपुर छ.ग. को जाति प्रमाण पत्र सत्यापन दायरा पंजी में करते हुए स्पष्ट अभिमत हेतु निर्देशित किया गया।

3/ कार्यालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/3008/वाचक/2017 सूरजपुर दिनांक 08.08.2017 के द्वारा उनके **''दायरा पंजी वर्ष 1990–91 एवं वर्ष 1991–92 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 10.06.1992 को श्रीमती संचिता रानी मण्डल पुत्री मनिन्द्रनाथ मंडल जाति चमार की निवास स्थान सूरजपुर के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र दायरा पंजी में दर्ज होना नहीं पाया गया। तथा उक्त दिनांक को किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है।''** तद्नुसार श्रीमती संचिता रानी मण्डल की जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।

4/ कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/1907/शिकायत–शाखा/आयुक्त/2023 सूरजपुर दिनांक 12.04.2023 के द्वारा श्रीमती मण्डल के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के कारण कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/7092/शिका.–जांच/2023 सूरजपुर दिनांक 21.09.2023 के द्वारा श्रीमती संचिता रानी मण्डल को अपना पक्ष/जवाब हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 27.09.2023 को श्रीमती मण्डल के द्वारा जवाब/प्रतिउत्तर दिया

01/3/24

गया जो समाधान कारक नहीं पाया गया। पुनः कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/1788/शिका.–जांच/ 2024 सूरजपुर दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्रीमती संचिता रानी मण्डल को दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 28.02.2024 को श्रीमती मण्डल के द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में कोई भी ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार, ''श्रीमती मण्डल के द्वारा दोनों बार प्रस्तुत जवाब में कोई भी संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।''

5/ छत्तीसगढ़ शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 13–1/2008/1–3 दिनांक 24.07.2008 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी/गलत) प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों का तत्काल सेवाएं समाप्त किए जाने के निर्देश दिये है इनके लिए विभागीय जॉच अथवा किसी अन्य जॉच की आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमती मण्डल को शासकीय सेवा से पृथक (**Dismissed**) किए जाने का निर्णय लिया गया है।

6/ अतएव, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–12 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त नियमों के नियम–10 (आठ) के अन्तर्गत् श्रीमती संचिता रानी मण्डल, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सोनवाही उपकापारा, विकासखण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पृथक (**Dismissed**) किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
सूरजपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/2041/ स्था03/टी–संवर्ग/2024 सूरजपुर दिनांक ~~29.02.2024~~ 01.03.2024

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्रीमती संचिता रानी मण्डल, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सोनवाही उपकापारा, विकासखण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. स्टाक फाईल।

जिला शिक्षा अधिकारी
सूरजपुर (छ0ग0)